न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/52/2016 आनलाईन नम्बर–2016/00565 प्रवेश तिथि–22.03.2016

1. कैलाश चन्द पुत्र कजोड कौम मीना निवासी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. छोटेलाल पुत्र कजोड कौम मीना निवासी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. मु0 रामप्यारी बेवा रघुवीर सिंह कौम राजपुत सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. मंगासिह पुत्र रघुवीर सिंह कौम राजपुत निवासी सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. दशरथ सिंह पुपत्र रघुवीर सिंह कौम राजपुत निवासी सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
5. नायब तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
उपस्थितः– श्री प्रदीप दीक्षित एड0–वादी

–:निर्णयः–

दिनांक–20/01/2026

1.आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया की विवादित साबिक आराजी खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा खाता संख्या 190 मुताबिक जमाबन्दी 2036 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी पर 1/3 हिस्सा की खातेदारी मु. रामप्यारी पत्नी रघुवीर सिंह राजपुत निवासी सुरेर थी। यह है कि उक्त मु0 रामप्यारी ने अपने कब्जे काश्त की आराजी में अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजि0 बैयनामा जीवन पुत्र मांगेलाल मीना को बेचान कर दिया। और आराजी पर जिस कदर मु0 रामप्यारी काबिज थी। उसी कदर जीवन का कब्जा करा दिया। तथा इन्तकाल बैयनामा के आधार पर नामा संख्या 264 दर्ज वो स्वीकार होकर जीवन पुत्र मांगेलाल का नाम हो गया। साबिक आराजी खसरा संख्या 117 मिन में से 1 बीघा 13 बिस्व आराजी को जीवन पुत्र मांगेलाल मीना से हम वादीगण ने जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 18.11.1998 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह है कि वादीगण काश्तकार व्यक्ति होने व इन्तकाल की कार्यवाही नही समझने के कारण खरीद सुदा आराजी का इन्तकाल दर्ज नही करा सकें। यह है कि सम्वत 2046 में गत साबिक आराजी खसरा संख्या 117 मि0 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा का जो हाल खसरा संख्या 338/0.20, 339/0.17, 341/0.35, 342/0.32, 345/0.27, 346/0.32 ऐयर कायम किये गये। यह है कि गत आराजी साबिक खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा का जो हाल खसरा संख्या 341/0.35, है0 कायम वाके ग्राम सुरेर हुआ है। उस नम्बर पर हम वादीगण वक्त खरीद से ही काबिज है। और काश्त करते चले आ रहे है। यह है कि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा उक्त हाल आराजी का खातेदार इन्द्राज वादीगण के नाम नही कर प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर पर कर दिया जो काबिल दूरूस्ती योग्य है। व हाल इन्द्राज बमुकाबले वादीगण बातिल वो बेअसर करार घोषित होने योग्य भी है। व हाल इन्द्राज बमुकाबले वादीगण बातिल वो बेअसर करार घोषित कराने का अधिकारी भी है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

अन्त में दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को मत मुताबिक उसकी खरीद सुदा व कब्जा सुदा आराजी हाल खसरा संख्या 341/0.35 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का व प्रतिवादीगण को जरिये हुकमईन्ताह दावा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि वो वादीगण के कार्य काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट यो मजाहमत पैदा नही करें। एवं दावा वादी स्वीकार कर डिक्री फरमाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हाजा न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 16.03.2012 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बाद सूचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। और उसके बाद अन्तिम निर्णय दिनांक 27.06.2012 को सुनाया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के आदेश दिनांक 07.05.2015 के निर्देशानुसार पत्रावली को रिमाण्ड होकर हाजा न्यायालय को प्राप्त हुई। न्यायालय श्रीमान के निर्देशानुसार पत्रावली को पुनः दर्ज कि गई। पक्षकारान को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किये गये। और वादीगण की और से श्री प्रदीप दीक्षित एड0 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की और से श्री मनीष गुप्ता एड0 उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादीगण को न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया। जिसके बाद हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2016 के अनुसार प्रतिवदीगण को जवाब पेश करने के लिए लगातार दिनांक 06.11.2019 तक अवसर प्रदान किये गये। लेकिन प्रतिवादीगण के की ओर से जवाब पेश नही किया गया। और आदेश दिनांक 06.11.2019 को प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण वकील बाद सूचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में दावे के समर्थन में वादी द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार हैं–

दस्तावेजात	प्रदर्श
नकल मिलान क्षेत्रफल	प्रदर्श–1
रजिस्ट्री असल	प्रदर्श–2
रजिस्ट्री की नकल	प्रदर्श–2/1
जमाबन्दी सम्वत 2036	प्रदर्श–3
जमाबन्दी सम्वत 2046	प्रदर्श–4
नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 08.04.1981	प्रदर्श–5
जमाबन्दी संवत 2064–67	प्रदर्श–6

4. दावे के समर्थन में वादी द्वारा कैलाश चन्द, नाजिम पुत्र हरदेवा, शिम्भूदयाल सैन शपथ पत्र पेश किये जो लेखवद्व करवाया जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

5. प्रकरण में वहस विद्वान वकील वादी की एकतरफा सुनी गई। वहस में वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये उल्लेखित किया गया। की आराजी साबिक खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 वीघा 17 विस्वा वाके सुरेर में स्थित है। उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा की खातेदार मु0 रामप्यारी काबिज थी। उक्त रामप्यारी द्वारा अपना हिस्सा की आराजी को को जीवन पुत्र मांगे लाल जाति मीना को बेचान कर दी।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

व जाह पर काबिज थी। उसी हिस्से पर जीवन पुत्र मांगेलाल को कब्जा दिलवा दिया। जिसका बैयनामा के अनुसार इन्तकाल संख्या 264 जीवन के नाम दर्ज वो स्वीकार हो गया। इसके बाद जीवन पुत्र मांगेलाल से उसकी क्रय व कब्जा सूदा आराजी को वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 18.11.1988 को खरीदकर लिया व रजिस्टर्ड बैयनामा दर्ज वो तस्दीक करा लिया। परन्तु वादीगण जो की अनपढ किसान/आदमी थे। इसलिए बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही नही की जा सकी। और आराजी विवादित को बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 में प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई। जबकि आराजी गत खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर वो हाल नम्बरान में जो हाल नम्बर 341 रकबा 0.35 है0 कायम किये है। उसमे पूर्व के अनुसार वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। साक्ष्यों में भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण वास्ते पैरवी भी उपस्थित नही है। जिससे भी तथ्य साबित है। कि उन्हे उक्त आराजी से कोई हम वो सम्बन्ध नही है। तहसीलदार रिपोर्ट से भी वादी का वाद की पुष्टि होती है। आराजी वादीगण हाल खसरा संख्या 341/0.35 है0 के गत साबिक खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सुरेर से बनना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित होता है। दावा वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया गया।

6. इसी प्रकार प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व साबिक रिकार्ड सम्वत् 2046 से पूर्व व पश्चात् की दर्ज प्रविष्टि का अवलोकन करना अति आवश्यक है जो इस प्रकार से है कि–

क्र. स.	सम्वत् 2046 से पूर्व के साबिक खसरा संख्या एवं रकबा	सम्वत् 2046 के पश्चात् के खसरा संख्या व रकबा
1	117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा	338 रकबा 0.20 है0
		339 रकबा 0.17 है0
		341 रकबा 0.35 है0
		342 रकबा 0.32 है0
		345 रकबा 0.27 है0
		346 रकबा 0.32 है0

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

7. मैने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन व निरीक्षण किया गया। जैसा कि वादीगण का वाद पत्र में कथन रहा है। गत आराजी खसरा संख्या 117 मिन रकबा4 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर की 1/3 हिस्से की खातेदारी मु0 रामप्यारी थी। इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2036 में अंकित इन्द्राज से होती है। वादीगण का यह भी कथन रहा है कि मु0 रामप्यारी द्वारा अपना कब्जा काश्त की खातेदारी का 1/3 हिस्सा जीवन पुत्र मांगेलाल मीना को बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 264 दर्ज वो स्वीकार हो गया। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 264 से होती है। गत आराजी खसरा संख्या 117 मिन रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा हाल विवादित आराजी खसरा संख्या 341/0.35 है0 वाके सुरेर तहसील टहला जिला अलवर कायम हुये है। उक्त तथ्यो की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 से होती है। वादीगण का कथन यह भी है कि द्वारा पुर्व खरीददार जीवन पुत्र मांगेलाल मीना से गत आराजी खसरा संख्या 117 मिन जो की उसके द्वारा पूर्व में रामप्यारी से खरीद किया था।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

तथा जरिये नामान्तरकण संख्या 264 से खातेदार हुआ था। से जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 18.11.1988 को तहरीर कर पंजीबद्व कराया है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बैयनामा प्रति से होती है। परन्तु वर्तमान में उक्त आराजी के हाल खसरा संख्या 341/0.35 है0 जो बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 से कायम हुआ है का प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज है। जो बन्दोबस्त कार्यवाही काबिल स्वीकार योग्य नही है। क्योकि उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। और उक्त खातेदारी की आराजी का वादीगण को जिनके द्वारा आराजी पूर्व के खातेदार से खरीद की है। जिसके अनुसार विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि . ***"admission is the best evidence against the persons making admission."*** इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व तहसीलदार रिपोर्ट व पटवारी हल्का सुरेर के आधार पर दावा वादी वादीगण पूर्णरूप से साबित होता है। वादीगण की खाते दारी भूमि को प्रतिवादीगण के नाम किये गये इन्द्राज प्रारम्भ से ही शुन्य एवं बेअसर हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार करने योग्य है। अतः–

आदेश है कि

दावा वादीगण इस्तकरारहक वो दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमईमत्लाई दावा हाल आराजी खसरा संख्या 341 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर को डिक्री किया जाता है। साथ ही यह है कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज को हजफ/कलमजन किया जाकर दादीगण के नाम दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है। कि वादीगण को उक्त आराजी से किसी भी प्रकार से कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा नही करें। *इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।*

आज यह निर्णय दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/52/2016 आनलाईन नम्बर–2016/00565 प्रवेश तिथि–22.03.2016

1. कैलाश चन्द पुत्र कजोड कौम मीना निवासी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. छोटेलाल पुत्र कजोड कौम मीना निवासी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. मु0 रामप्यारी बेवा रघुवीर सिंह कौम राजपुत सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. गंगासिंह पुत्र रघुवीर सिंह कौम राजपुत निवासी सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. दशरथ सिंह पुत्र रघुवीर सिंह कौम राजपुत निवासी सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
5. नायब तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा रा0का0अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

उपस्थितः– श्री प्रदीप दीक्षित एड0–वाद

पर्चा डिक्री

दिनांक 20/01/2026

दावा वादीगण इस्तकरारहक वो दुरूस्ती इन्द्राज व हुकमईमत्नाई दावा हाल आराजी खसरा संख्या 341 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर को डिक्री किया जाता है। साथ ही यह है कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज को हजफ/कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है। कि वादीगण को उक्त आराजी से किसी भी प्रकार से कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा नही करें।

आज दिनांक 20/01/2026 को पर्चा डिक्री तैयार की गई।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते